



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TUSAR KANT PANDEY S/O LATE BISHWANATH PANDEY, NAINA DEVI

पता A.5/46 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050031-- Property Id. 1A050136001

Latitude 25.32149825380

Longitude 83.02464260450

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/46 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **4,942.0** व सामान्य कर **544.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 675.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd) | 1_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 0,C= 1350 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 0.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 53,703.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 53,703.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 8,055.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Nagar Maha Palika Varansi

पता A.5/41 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050026-- Property Id. 1A050140001

Latitude 25.32156612170

Longitude 83.02490038480

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/41 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 704.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Vland) | GF_Vacant Plot | |
| 3 | भवन का प्रकार | Not Applicable | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0 | R= 0,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 0.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.20 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 1,690.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 1,690.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 186.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

→>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHAMPA DEVI W/O LATE MEVA LAL, GOPAL S/O LATE MEVA LAL

पता A.5/56-K-1 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 9532449200

MIS Id. 07050056-- Property Id. 1A050143001

Latitude 25.32079415400

Longitude 83.02461773710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/56-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,694.0** व सामान्य कर **186.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 780.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1560,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,248.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 5,841.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 5,841.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 643.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | | >>> |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAXMI NARAYAN S/O MAHADEV

पता A.5/56 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 7849903044

MIS Id. 07050054-- Property Id. 1A050144001

Latitude 25.32083872030

Longitude 83.02464135640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/56 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,498.0** व सामान्य कर **165.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 220.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 440,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 352.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 1,647.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 1,647.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 181.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

→>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAXMI DEVI W/O GOPAL AND OTHERS

पता A.5/55-B Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050049-- Property Id. 1A050147002

Latitude 25.32088104700

Longitude 83.02463238790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/55-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,273.0** व सामान्य कर **140.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 489.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 360,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 288.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 1,348.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 1,348.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 148.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJI S/O MUNSHI RAM

पता A.5/54 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050048-- Property Id. 1A050148001

Latitude 25.32092623190

Longitude 83.02458123070

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/54 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,091.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1012,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 810.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 3,789.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 3,789.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 417.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय

सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHANKAR DAYAL S/O LATE DIN DAYAL YADAV

पता A.5/53 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 8303703232

MIS Id. 07050047-- Property Id. 1A050149001

Latitude 25.32101347780

Longitude 83.02457782930

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/53 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **9,360.0** व सामान्य कर **1,030.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|-----------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 2,100.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 3540,C= 660 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 2,832.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 39,509.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 39,509.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 4,346.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | | >>> |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DATTAK PUTRA, MAHENDRA KUMAR UPADHAYAY S/O LATE

पता A.5/47 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 9005542639

MIS Id. 07050041-- Property Id. 1A050154001

Latitude 25.32126682120

Longitude 83.02455210290

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/47 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **10,142.0** व सामान्य कर **1,116.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 858.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,3_Resi | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4 | R= 3003,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 2,402.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 11,243.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 11,243.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,237.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT NIRMALA DEVI W/O BRAHMDEO PRASAD

पता A.5/48 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050042-- Property Id. 1A050155001

Latitude 25.32130310440

Longitude 83.02463220420

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/48 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,405.0** व सामान्य कर **595.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 798.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1596,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,277.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 5,975.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 5,975.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 657.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VIJAY KUMAR S/O MATA PRASAD

पता A.5/70-V Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 8562906548

MIS Id. 07070035B Property Id. 1A050004001

Latitude 25.32177865250

Longitude 83.02541988200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/70-V के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,132.0** व सामान्य कर **345.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 220.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,2_Residential,GF_&l | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 624,C= 36 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 499.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 4,896.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 4,896.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 539.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NANDNI DEVI W/O DINESH KUMAR YADAV S/O BHAGVAN DAS ALIES

पता A.5/72-1 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07070039-- Property Id. 1A050007002

Latitude 25.32162093070

Longitude 83.02555943740

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/72-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **42,627.0** व सामान्य कर **4,689.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|--------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 11,275.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd) | 1_Commercial Shop,2_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 0,C= 3000 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 0.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 1,74,420.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 1,74,420.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 26,163.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI GYAN CHNAD S/O LATE RAM JI

पता A.5/72 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 9307770191

MIS Id. 07070038-- Property Id. 1A050008001

Latitude 25.32169597090

Longitude 83.02580158380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/72 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,270.0** व सामान्य कर **140.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,620.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 720,C= 432 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 576.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 29,056.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 29,056.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 3,196.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय

सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Bablu

पता A.5/74-A Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 7355120347

MIS Id. 07070044-- Property Id. 1A050011001

Latitude 25.32195955840

Longitude 83.02578386380

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/74-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 260.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,2_Residential,GF_&l | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 520,C= 100 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 416.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 4,945.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 4,945.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 544.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BINDU DEVI W/O LATE KAILASH NATH GUPTA, SHIV KUMAR, RAVI

पता A.5/78-B Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 9005508705

MIS Id. 07070052A Property Id. 1A050013003

Latitude 25.32204681830

Longitude 83.02596968180

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/78-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **2,012.0** व सामान्य कर **221.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,132.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | GF_< 120Sq.Ft Commercials | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 168,C= 70 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 134.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 2,140.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 2,140.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 235.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DHANVANTRI BHAGVAN MALIK, MANEJAR AMAR NATH GUPTA S/O

पता A.5/64 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 9918036540

MIS Id. 07070021-- Property Id. 1A050099001

Latitude 25.32138418810

Longitude 83.02496741640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/64 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,283.0** व सामान्य कर **251.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 720.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 720,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 576.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 2,696.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 2,696.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 297.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MURLI MANOHAR MITTAL, KANHAIYA LAL MITTAL SS/O LATE RAM

पता A.5/77-A Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 9956492707

MIS Id. 07070054-- Property Id. 1A050129001

Latitude 25.32193617400

Longitude 83.02598925420

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/77-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,982.0** व सामान्य कर **548.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 952.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1904,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,523.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 7,129.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 7,129.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 784.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | | >>> |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKHILESH KUMAR S/O MAHENDRA KUMAR JAISWAL

पता A.5/4-K Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07060041A Property Id. 1A050159001

Latitude 25.32197609040

Longitude 83.02542244370

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/4-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,106.0** व सामान्य कर **232.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 375.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd) | 1_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 0,C= 750 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 0.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 43,605.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 43,605.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 4,797.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NUR JAHAN D/O RAMJAN,SHAKUS,DHUMMAN

पता A.5/4 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 9454708718

MIS Id. 07060041-- Property Id. 1A050160001

Latitude 25.32199483630

Longitude 83.02536234770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,913.0** व सामान्य कर **980.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|--------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 600.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd) | 1_Commercial Shop,2_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 0,C= 1800 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 0.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 1,04,652.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 1,04,652.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 15,698.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम THAKUR JIMJUGUL SARDAR,RADHA KRISHNA ANYA

पता A.5/5 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07060040-- Property Id. 1A050161001

Latitude 25.32195192110

Longitude 83.02526473160

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 3,600.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd) | GF_Commercial Shop | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 0,C= 3600 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 0.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 2,09,304.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 2,09,304.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 31,396.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT ANJANA PANDAY W/O MANOJ MUMAR PANDAY

पता A.6/30-B Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 8081037631

MIS Id. 07200105B Property Id. 1A050161002

Latitude 25.32195192110

Longitude 83.02526473160

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.6/30-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,024.0** व सामान्य कर **333.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,081.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,3_Resi | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4 | R= 4324,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 3,459.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 23,661.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 23,661.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 2,603.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TRASTIGAN,PRITHAVI NATH,SHAMBHU NATH CHERIKHUL

पता A.5/6 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07060039-- Property Id. 1A050161003

Latitude 25.32195192110

Longitude 83.02526473160

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **3,594.0** व सामान्य कर **395.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 2,755.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,3_Resi | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4 | R= 2208,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,766.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 12,082.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 12,082.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,329.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PARVATI DEVI W/O LATE KANTA PRASAD, AJAY KUMAR, BIJAY

पता A.5/11 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 9026066873

MIS Id. 07050021-- Property Id. 1A050162001

Latitude 25.32192313350

Longitude 83.02506976750

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/11 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,659.0** व सामान्य कर **1,062.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,376.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 2200,C= 400 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,760.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 24,149.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 24,149.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 2,656.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHANTI DEVI

पता A.5/10 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 9956272062

MIS Id. 07060016-- Property Id. 1A050163001

Latitude 25.32196791670

Longitude 83.02507412190

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **2,265.0** व सामान्य कर **249.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 612.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | B1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0 | R= 1224,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 979.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 4,583.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 4,583.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 504.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KANIJ FATMA W/O MOHD TAHIR

पता A.6/40 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07060014-- Property Id. 1A050164003

Latitude 25.32198723950

Longitude 83.02496783600

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.6/40 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **4,568.0** व सामान्य कर **502.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 672.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1344,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,075.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 5,032.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 5,032.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 554.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PREM CHANDRA JAISWAL S/O LATE JAGAR NATH PRASAD

पता A.5/10-A Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 9918153646

MIS Id. 07060017-- Property Id. 1A050165001

Latitude 25.32200525860

Longitude 83.02508531780

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/10-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,193.0** व सामान्य कर **461.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 555.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1665,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,332.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 6,234.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 6,234.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 686.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHIV JI, SS/O LATE JAGAR NATH PRASAD, LAXMI NARAYAN S/O

पता A.5/7 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 9565571077

MIS Id. 07060038-- Property Id. 1A050166001

Latitude 25.32205960700

Longitude 83.02536324180

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **3,089.0** व सामान्य कर **340.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 836.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 836,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 669.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 3,130.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 3,130.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 344.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MANISH KUMAR GUPTA, JITENDRA KUMAR GUPTA, PAWAN KUMAR

पता A.5/9 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 9839700700

MIS Id. 07060018-- Property Id. 1A050167001

Latitude 25.32206709110

Longitude 83.02512744700

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **3,346.0** व सामान्य कर **368.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 435.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1305,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,044.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 4,886.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 4,886.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 537.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MASJID MLIK JAHANGIR S/O PIR MOHD MAULVI

पता A.5/30 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220173B Property Id. 1A050169001

Latitude 25.32162126160

Longitude 83.02444381760

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/30 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **1,890.0** व सामान्य कर **208.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 487.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd) | GF_Commercial Shop | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 0,C= 150 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 0.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 8,721.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 8,721.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 959.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

→>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BHARAT LAL, RAM LAKHAN SS/O SUDHDU PRASAD

पता A.5/31 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050012-- Property Id. 1A050173001

Latitude 25.32164276690

Longitude 83.02451410890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/31 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,781.0** व सामान्य कर **1,626.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,550.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_&t; 120Sq.Ft | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 3000,C= 100 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 2,400.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 18,160.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 18,160.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,998.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAILASH NATH S/O SITA RAM

पता A.5/33-B Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050014-- Property Id. 1A050175001

Latitude 25.32169793270

Longitude 83.02463837300

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/33-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **10,848.0** व सामान्य कर **1,193.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,200.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 1120,C= 80 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 896.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 14,865.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 14,865.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,635.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MADAN KUMAR JAISAWAL S/O LATE PURUSHOTTAM

पता A.5/26 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050011-- Property Id. 1A050184001

Latitude 25.32172443410

Longitude 83.02419568140

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/26 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,753.0** व सामान्य कर **193.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 300.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 600,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 480.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 2,527.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 2,527.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 278.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAJKUMAR S/O LATE PARSHOTTAM

पता A.5/26-R Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050011B Property Id. 1A050187001

Latitude 25.32175970830

Longitude 83.02419740030

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/26-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,753.0** व सामान्य कर **193.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 372.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 600,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 480.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 2,527.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 2,527.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 278.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | | >>> |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANANT RAM S/O KALIKA

पता A.5/34 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050017-- Property Id. 1A050193001

Latitude 25.32184666690

Longitude 83.02467285090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/34 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,530.0** व सामान्य कर **498.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 750.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 2250,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,800.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 8,424.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 8,424.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 927.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASHOK KUMAR,BADRI KUMAR,SUNIL KUMAR SS/O LATE SANKATHA

पता A.5/25 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050009-- Property Id. 1A050195001

Latitude 25.32179581440

Longitude 83.02432061940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/25 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,646.0** व सामान्य कर **1,061.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 2,200.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 2640,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 2,112.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 9,884.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 9,884.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,087.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम INDAR PRASAD S/O LATE RAGHU NATH PRASAD

पता A.5/32-A-1 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050007-- Property Id. 1A050196001

Latitude 25.32185134870

Longitude 83.02448370860

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/32-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **2,443.0** व सामान्य कर **269.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 600.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1800,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,440.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 6,739.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 6,739.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 741.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | | >>> |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIRMALA DEVI W/O VINOD KUMARRASAD

पता A.5/22-A-1 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220135-- Property Id. 1A050199001

Latitude 25.32197635390

Longitude 83.02411883660

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/22-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **2,722.0** व सामान्य कर **299.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 450.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 900,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 720.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 3,370.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 3,370.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 371.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | —————>>> | |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DEVI PRASAD S/O PURSHOTTAM PRASAD

पता A.5/19 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050001-- Property Id. 1A050203001

Latitude 25.32195547150

Longitude 83.02427363220

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/19 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **11,494.0** व सामान्य कर **1,264.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,050.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 3150,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 2,520.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 11,794.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 11,794.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,297.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAJESH KUMAR S/O SIDDHU PRASAD

पता A.5/17-R Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050005A Property Id. 1A050205001

Latitude 25.32196894550

Longitude 83.02447662570

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/17-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **3,013.0** व सामान्य कर **331.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 600.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1800,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,440.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 8,424.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 8,424.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 927.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUDDHU PRASAD S/O LATE KALIKA PRASAD, BHARAT LAL, RAM

पता A.5/17 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050005-- Property Id. 1A050206001

Latitude 25.32196837310

Longitude 83.02454730980

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/17 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,708.0** व सामान्य कर **1,178.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 750.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,3_Resi | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4 | R= 3000,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 2,400.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 11,232.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 11,232.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,236.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHESH PRASAD,SURESH PRASAD SS/O SUDDHU PRASAD

पता A.5/17-A Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050004-- Property Id. 1A050206002

Latitude 25.32196837310

Longitude 83.02454730980

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/17-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **2,896.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|------------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,644.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,3_Resi | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4 | R= 624,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 499.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 2,920.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 2,920.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 321.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | —————>>> | |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KABAN ALI S/O LATE ALI HAMMAD

पता A.5/38-B-K Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07060002-- Property Id. 1A050207001

Latitude 25.32189434760

Longitude 83.02478297280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/38-B-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,480.0** व सामान्य कर **273.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,200.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 2400,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,920.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 8,986.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 8,986.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 988.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NADIRA BIBI W/O ALI HAMMID

पता A.5/38-B Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050020-- Property Id. 1A050207003

Latitude 25.32189434760

Longitude 83.02478297280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/38-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,794.0** व सामान्य कर **637.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,626.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1560,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,248.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 5,841.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 5,841.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 643.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD TAHIR S/O LATE MOHD KASIM

पता A.5/37 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050019-- Property Id. 1A050208001

Latitude 25.32199813530

Longitude 83.02487299340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/37 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,324.0** व सामान्य कर **476.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,200.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 2400,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,920.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 8,986.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 8,986.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 988.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIYADA BIBI W/O MOHD HAIDAR, RAJA HAIDAR, RAJI

पता A.5/38 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07050023-- Property Id. 1A050209001

Latitude 25.32191063560

Longitude 83.02487371370

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/38 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,200.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 1000,C= 200 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 800.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 4,493.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 4,493.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 494.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KALAM S/O MOHD.YUSUF

पता A.5/4-A Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07060042A Property Id. 1A050159002

Latitude 25.32197609040

Longitude 83.02542244370

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 380.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd) | 1_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 0,C= 600 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 0.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 34,884.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 34,884.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 3,837.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RASULAN BIBI W/O YUSUF

पता A.5/4-A-1 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं०

MIS Id. 07060042-- Property Id. 1A050160002

Latitude 25.32199483630

Longitude 83.02536234770

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/4-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **4,306.0** व सामान्य कर **474.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 614.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 575,C= 575 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 460.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 12 Mtr To 24 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.95 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 36,577.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 36,577.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 4,023.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAY DAYAL YADAV S/O LATE DIIN DAYAL YADAV

पता A.5/53-A-1 Mukimganj

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W044

मोबाईल नं० 7860433234

MIS Id. 07050047A Property Id. 1A050149002

Latitude 25.32101347780

Longitude 83.02457782930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.5/53-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,986.0** व सामान्य कर **988.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,348.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 2450,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,960.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.65 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 9,173.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 9,173.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,009.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | | >>> |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय